यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्वायत्तशासी संघटक महाविद्यालय)

छात्र-संघ

संविधान (नियमावली)

2013

विषय सूची

				पृष्ठ संख्या
1.	**प्रस्तावना**			
2.	**अनुच्छेद I**			1
	खण्ड 1	:	शीर्षक एवं उपयोगिता	1
	खण्ड 2	:	नाम	1
	खण्ड 3	:	कार्यालय	1
	खण्ड 4	:	उद्देश्य वाक्य	1
	खण्ड 5	:	नियमावली हेतु परिभाषायें	1
	खण्ड 6	:	उद्देश्य एवं लक्ष्य	1
	खण्ड 7	:	संरक्षक	2
	खण्ड 8	:	स्थायी समिति	2
	खण्ड 9	:	संविधान संशोधन	3
3.	**अनुच्छेद II सत्ता**			3
4.	**अनुच्छेद III छात्र संघ की सदस्यता**			4
5.	**अनुच्छेद IV छात्र संघ में कक्षा वर्ग प्रतिनिधि का निर्वाचन सदस्यता**			4
	खण्ड 1	:	कक्षा वर्ग प्रतिनिधि : अर्हतायें	4
	खण्ड 2	:	कक्षा वर्ग प्रतिनिधियों का निर्वाचन	4-6
6.	**अनुच्छेद V कार्यकारिणी**			6
	खण्ड 1	:	पदाधिकारी	6

	खण्ड 2	:	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चुनाव	6
	खण्ड 3	:	सामान्य नियम	6-7
	खण्ड 4	:	सदस्यों का आचरण	7
	खण्ड 5	:	वित्तीय उत्तरदायित्व	7
	खण्ड 6	:	चुनाव सम्बन्धी सामान्य नियम	8
	खण्ड 7	:	कार्यकाल	8
	खण्ड 8	:	प्रत्याशियों एवं प्रचारकों हेतु आचार संहिता	8-9
7.	**अनुच्छेद VI**		**परिवाद निवारण प्रक्रिया**	
	10-12			
8.	**अनुच्छेद VII संघ के कर्तव्य एवं अधिकार**			12-15
	खण्ड 1	:	संघ के कार्य	12
	खण्ड 2	:	संघ द्वारा मांग	12
	खण्ड 3	:	बैठक	13
	खण्ड 4	:	विशेष-विषय पर मतदान	13
	खण्ड 5	:	अध्यक्ष के अधिकार	13
	खण्ड 6	:	अध्यक्ष के कर्तव्य	14
	खण्ड 7	:	मंत्री के कर्तव्य	14
	खण्ड 8	:	संयुक्त मंत्री के कर्तव्य	14
	खण्ड 9	:	कोषाध्यक्ष के कर्तव्य	14
9.	**अनुच्छेद VIII छात्र संघ के संरक्षक**			
	15			
	खण्ड 1	:	अधिकार एवं शक्तियॉं	15
10.	**अनुच्छेद IX अनुशासन समिति**			15
	खण्ड 1	:	सदस्य	15
	खण्ड 2	:	कर्तव्य	15
	खण्ड 3	:	उल्लंघन	15
11.	**अनुच्छेद X न्यायिक समिति**			15
	खण्ड 1	:	सदस्य	16

खण्ड 2 : योग्यता 16
खण्ड 3 : कार्यक्षेत्र 16
खण्ड 4 : नियुक्ति 16
खण्ड 5 : कार्यकाल 16
खण्ड 6 : विवाद एवं संचालन 16
खण्ड 7 : कर्तव्य 16
12. अनुच्छेद XI संघ सभा 16
खण्ड 1 : बैठक 16
खण्ड 2 : प्रक्रिया 17
13. अनुच्छेद XII वित्तीय नियम 17
14. अनुच्छेद XIII अविश्वास तथा महाभियोग 17

प्रस्तावना

यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज, इलाहाबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय का एक स्वायत्तशासी संघटक महाविद्यालय है, जिसमें स्नातक स्तर के कला एवं विज्ञान के अध्ययन के साथ-साथ अनेक रोजगारपरक पाठ्यक्रम भी संचालित होते हैं। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय है जिसे भारतीय संविधान की धारा 30 (1) के अधीन संस्था संचालन एवं विद्यार्थियों को अनुशासित करने का मूल अधिकार प्राप्त है। कॉलेज ने छात्रों को प्रतिनिधात्व देने हेतु सत्र 2006-2007 में कॉलेज में छात्र-परिषद के अधिकार एवं कर्तव्य हेतु एक नियमावली बनायी जो प्रबंध समिति से पारित होकर छात्र-परिषद संविधान 2006 कहलाया। इस संविधान के अनुसार छात्र-परिषद का गठन सफलता पूर्वक सत्र 2011-2012 तक होता रहा है। लिंगदोह समिति की संतुतियों (26 मई 2006) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिक मान्यता (22 सितम्बर 2006) और भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग पत्रांक संख्या 9-6/2005-यू-5, डिस्पैच तिथि 23-11-2006 के अनुसार कॉलेज ने अपने मूल छात्र-परिषद संविधान में संशोधन प्रस्तावित किया जिसे कॉलेज प्रबन्ध समिति की संस्तुति के बाद छात्र-संघ संविधान 2013 के रूप में स्वीकार किया गया। इस संशोधन का मूल बिन्दु लिंगदोह समिति की संस्तुति 6.2.4 है। इस संस्तुति के अनुसार "सभी संस्थानों को जो 5 वर्ष की अवधि तक नामांकन मॉडल के आधार पर चुनाव करा चुके हैं उन्हें व्यवस्थित चुनाव मॉडल पर जो प्रजातांत्रिक (अप्रत्यक्ष) चुनाव या अध्यक्षात्मक (प्रत्यक्ष) या संकर मॉडल पर आधारित हो, अवश्य ही चुनाव कराना चाहिये।"

महाविद्यालय ने छात्र-संघ चुनाव हेतु प्रक्रिया लिंगदोह समिति के पैरा 6.2.4 को स्वीकार किया है। प्रतिनिधि के चुनाव की इस प्रक्रिया में प्रत्येक कक्षा वर्ग से निर्वाचित, शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों से निर्वाचित छात्र-प्रतिनिधि तथा प्राचार्य द्वारा नामित विभिन्न समुदायों, वर्गों, उप-वर्गो के तथा विशिष्ट योग्यताधारी के लगभग 10-15 निर्वाचक मंण्डल का गठन करेंगे, जो छात्र संघ,-सभा के नाम से भी जाना जाएगा । प्राचार्य द्वारा नामित विद्यार्थी के पास मताधिकार होगा परन्तु कार्यकारिणी के पदों पर निर्वाचन हेतु वे आहर्य नही होंगे। निर्वाचन मंडल (Electoral College) में छात्राओं का प्रतिनिधित्व उनकी कुल संख्या के अनुपात में होना चाहिये। यदि छात्राओं का निर्वाचन उनके अनुपात में स्वत: हो जाय तो यथावत स्वीकार्य होगा अन्यथा भविष्य में छात्राओं हेतु उनके अनुपात में सीट आरक्षित कर दी जायेगी। निर्वाचन मण्डल के द्वारा छात्रसंघ पदाधिकारियो ¼अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, संयुक्त मंत्री एवं उप-कोषाध्यक्ष½ का निर्वाचन गुप्त मतदान से होगा। प्राचार्य सांस्कृतिक मंत्री का उसके पूर्व वर्षो में क्षमता प्रमाण-पत्रों के आधार पर नामित करेंगे। कोषाध्यक्ष प्राचार्य द्वारा स्थायी प्राध्यापकों में से दो वर्ष के लिए नियुक्त किया जायेगा। प्राचार्य कोषाध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाने के लिये स्वतंत्र होंगे। इस व्यवस्था में एक परामर्शदाता होगा जिसे छात्र-संघ परामर्शदाता कहा जायेगा जो प्राचार्य द्वारा प्राप्त शक्तियों के अधीन होगा।